











मण्डी परिषद के मा० संचालक मण्डल की 120वीं बैठक रिजालुशन बाई सरकारेशन
द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 29.02.2007 का कार्यवृत्त

क्रमांक	मा० अध्यक्ष/सदस्य	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा० अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।	सदस्य	
3	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।	सदस्य	
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।	सदस्य	
5	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ०प्र० शासन, लखनऊ।	सदस्य	
6	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ०प्र० शासन, लखनऊ।	सदस्य	
7	आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य	
8	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।	सदस्य	
9	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, लखनऊ।	सदस्य	
10	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य	
11	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ०प्र० लखनऊ।	सदस्य	
12	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी आयुक्त एवं निदेशक	सदस्य/सचिव	

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1.	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली-1984 (संशोधन-2005) के विनियम-13(1) में पदोन्नति हेतु 05 वर्ष की बाध्यता में शिथलीकरण का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तदनुसार सेवा विनियमावली में शिथलीकरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग
उ०प्र० शासन, लखनऊ

कृषि उत्पादन आयुक्त
उ०प्र० शासन, लखनऊ

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष
मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद
उ०प्र० शासन, लखनऊ

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग

उ०प्र० शासन, लखनऊ

सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
उ०प्र० शासन, लखनऊ

कृषि निदेशक,
कृषि निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, लखनऊ

कृषि विपणन सलाहकार
भारत सरकार
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई
दिल्ली

निदेशक,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश
व्यापार,
उ०प्र०।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
आयुक्त एवं निदेशक,
मण्डी परिषद, उ०प्र०,
सदस्य/सचिव